उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तरांचल शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग

संख्या 703/उच्च शिक्षा/2003–3(14) 2001

देहरादून, 25 अगस्त, 2003

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों व आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल, उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2003

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

(1) यह नियमावली उत्तराचंल उच्चतर शिक्षा समूह 'क' सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थितिः

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएंः

जब एक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में।

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ख) भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाये;

(ग) 'आयोग का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल से है;

(घ) 'संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ड) 'उपाधि महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज)' का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है, जो प्रथम उपाधि स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो;

(च) 'सरकार का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(छ) 'राज्यपाल का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज)' का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है, जो किसी एक या अधिक विषयों या संकायों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो;

(ट) 'सेवा का तात्पर्य उत्तराचंल उच्चतर शिक्षा समूह 'क' सेवा से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है;

(त) 'अंशकालिक प्रवक्ता का तात्पर्य' का आशय शासनादेश संख्या 4234/15–2–86–27(23) 86, दिनाँक 22–07–86 द्वारा लागू व्यवस्था के अन्तर्गत एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से है;

(थ) 'विजिटिंग लैक्चरर' से आशय शासनादेश संख्या 457/मा0स0वि0/2001–3(6)2000, दिनाँक 27–01–2001 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2001–2002 से राजकीय महाविद्यालयों में षिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमन्त्रित अभ्यर्थियों से है।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग

(1) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी शासन द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा में कुल पदों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उपनियम (1) के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन का आदेश पारित न कर दिया जायेः–

श्रेणी	पदनाम	पदों की संख्या
एक	निदेशक, उच्च शिक्षा	01
दो	(क) संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा	01
	(ख) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	12
तीन	(क) उप निदेशक	02
	(ख) उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य	23
चार	(क) सहायक निदेशक	02
	(ख) प्रवक्ता/प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/प्रवक्ता चयन वेतनमान	883

टिप्पणी–30 नवम्बर, 1977 को इनमें से किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति उसी रूप में बने रहेंगे और उनका उस दिनाँक को उनके द्वारा धृत पद का नाम वैयक्तिक पदनाम के रूप में बना रहेगा, भले ही उनका उसी वेतनमान में भिन्न पदनाम के पद पर बाद में स्थानान्तरण हो जाये।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का स्रोतः

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

श्रेणी एक निदेशकः–नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित श्रेणी दो के सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा।

श्रेणी दो संयुक्त निदेशक तथा प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयः–नियम 4 के उपनियम (2) में उल्लिखित श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति।

श्रेणी तीन (क) उप निदेशकः–श्रेणी तीन (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(ख) प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालयः–उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्यों के समस्त पद नियम 4 के उपनियम (2) की श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, योग्यता के सिद्धांत पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

श्रेणी चार (क) सहायक निदेशकः–श्रेणी चार (ख) के ऐसे अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे जिन्हें राजकीय उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो।

(ख) प्रवक्ताः–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/रीडर (पदनाम) कैरियर एडवान्समैन्ट योजना के अन्तर्गत दिये जाने की व्यवस्था है)।

6. आरक्षणः

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/उत्तरांचल के अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार अर्हताएं

7. राष्ट्रीयताः

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि–

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हों; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा, तन्जानिया से प्रवजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) या अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

8. शैक्षिक अर्हताः

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिएः–

पद	शैक्षिक अर्हता
प्रवक्ता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित एवं उत्तरांचल शासन द्वारा अनुमोदित अर्हता।

9. अधिमानी अर्हताः

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो;

(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का बी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो;

(ग) वाद–विवादों, संगोष्ठियों, खेल–कूद और अन्य पाठ्येत्तर कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित की हो, जिसमें महाविद्यालय के कार्यक्रमों में गरिमा के साथ भाग लेने की योग्यता प्रकट हो;

(घ) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के अधिकतम 5 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यनूतम अर्हता रखता हो;

(च) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के अधिकतम 5 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि अंशकालिक प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो;

(छ) राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर चयन के मामले में केवल उन विजिटिंग लैक्चररों तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को अधिमान दिया जायेगा, जो सेवा नियमावली की अधिसूचना के दिनाँक या उससे पूर्व उपरोक्त रूप में कार्यरत रहे हों। यह व्यवस्था स्थायी नहीं है।

10. आयु

जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, प्रवक्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएः

(क) परन्तु उपबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

(ख) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को जो विहित अर्हता पूर्ण करते हैं, को, अधिकतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्ते कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं की आयु इस रूप में पद का प्रस्ताव प्राप्त होने के समय विहित आयु सीमा के अन्तर्गत रही हो।

11. चरित्र

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थितिः

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वास्थ्यः

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जायेः

परन्तु,, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच–भर्ती प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारणाः

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रियाः

(1) चयन के विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, बुलायेगा, जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंको में प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगाः

परन्तु उपबन्ध यह है कि योग्यता सूची के अभ्यर्थियों को उन्हीं पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जा सकेगा जिनके विरूद्ध चयन किया गया है।

(4) अंशकालिक प्रवक्ताओं की दीर्घ सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन मांगे जाने पर आवेदन करने वाले अंशकालिक प्रवक्ताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर अवश्य दिया जाये।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रियाः

(1) (क) उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जो उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के अधीन गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) सचिव कार्मिक	सदस्य
(3) सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य

(ख) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर और प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालयों के पद पर भर्ती योग्यता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल सरकार, कार्मिक विभाग;
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल सरकार, उच्च शिक्षा विभाग;
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा।

टिप्पणी–प्रमुख/सचिव, उत्तरांचल सरकार, कार्मिक विभाग या प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, जो भी ज्येष्ठ हो, वह चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे, सुसंगत चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे, तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

17. नियुक्तिः

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गई सूची में हों।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी और यदि यह पद आयोग के कार्य क्षेत्र में हो तो उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) के विनियम–5 (क) के उपबन्ध के अनुसार होंगी।

18. परिवीक्षाः

(1) सेवा में किसी पद पर या स्थायी रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगं, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जायेः
परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

19. स्थायीकरणः

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण अच्छा बताया जाये;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

20. ज्येष्ठताः

(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनाँक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगीः

परन्तु–

(क) यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनाँक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनाँक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी करने के दिनाँक से होगाः

(ख) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी, जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की गई होः

परन्तु उपबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह वैध कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणो की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गई।

भाग सात–वेतन इत्यादि

21. वेतनमानः

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ क समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैंः–

पद का नाम	वेतनमान (रुपये)
1– निदेशक, उच्च शिक्षा	18400–22400
2– श्रेणी दो के पद	16400–22400
3– श्रेणी तीन के पद	12000–18300
4– श्रेणी चार के पद	(i) 8000–13500
	(ii) 10000–15200
	(iii) 12000–18300

22. परिवीक्षा अवधि में वेतनः

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नहीं की जायेंगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु उपबंध यह है कि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

23. पक्ष समर्थनः

पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

24. अन्य विषयों का विनियमनः

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमो, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

25. सेवा की शर्तों में शिथिलताः

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती हैः

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

26. व्यावृत्तिः

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विविध श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।